



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 20498 वर्ष 2026

नरेन्द्र कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : श्री पीयूष पटेल

प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-1

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 550 वर्ष 2025, धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता तथा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 63 एवं 72, थाना कल्याणपुर, जनपद कानपुर नगर के अंतर्गत उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई विलंब के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। न तो आवेदक परिवहन कम्पनी का स्वामी है और न ही वह माल प्राप्त करने वाली फर्म का स्वामी है। आवेदक को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया। अभियोजन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी नहीं है। वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध केवल एक आपराधिक मुकदमे का इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में दायर शपथपत्र के अनुच्छेद-15 में दिया गया है। आवेदक दिनांक 10.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। इन परिस्थितियों में यह निवेदन किया गया कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। यह भी आश्वासन दिया गया कि जमानत पर रिहा होने पर वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने के प्रार्थना-पत्र का विरोध किया।
5. अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, संभावित दण्ड की गंभीरता तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के उपरांत तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। अतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
6. तदनुसार, यह आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में सम्मिलित आवेदक नरेन्द्र कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- (i) आवेदक उस अपराध के समान किसी अन्य अपराध का न तो स्वयं करेगा और न ही उसमें किसी प्रकार की सहभागिता करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाए।
- (iii) आवेदक इस आशय का एक लिखित उपक्रम प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य के लिए गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि पर वह स्थगन की मांग नहीं करेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए (जिसके समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 269) के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।
- (v) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (जिसके समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और उसके पश्चात भी वह उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (जिसके समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 209) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।
- (vi) आवेदक निम्नलिखित अवसरों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (1) वाद के उद्घाटन के समय, (2) आरोप निर्धारण के समय, तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (जिसके समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351) के अंतर्गत उसके कथन दर्ज किए जाने के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में इन अवसरों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के है, तो वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।
7. यदि उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I,)

जून 22, 2026

आशुतोष

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"